इन्द्राज / बिमला — 112/2023

दिनांक	आज्ञा पत्र	
30/7/25	अपीलांट के बिमला तलाकी अ.प्र. स्वीकार होने पर पंजीकृत वकील/वकील अपीलाट न उपस्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अत. अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलाट से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज रने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपी ट नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब मुकमील दाखिल दफ्तर हो। अनिल कुमार II RAS भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)	NOT PRESS 30/7/25 (अनिल कुमार) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर